रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12102021-230390
CG-DL-E-12102021-230390

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 588] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 12, 2021/ आश्विन 20, 1943
No. 588] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 12, 2021/ ASVINA 20, 1943

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 अक्तूबर, 2021

सा.का.नि 730(अ).—केन्द्रीय सरकार, गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम, 1971 (1971 का 34) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियोँ का प्रयोग करते हुए, गर्भ का चिकित्सीय समापन नियम, 2003 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गर्भ का चिकित्सीय समापन (संशोधन) नियम, 2021 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. गर्भ का चिकित्सीय समापन नियम, 2003 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है), के नियम 2 के उपनियम (ङ) के पश्चात्, निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

'(च) "चिकित्सा बोर्ड" से अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2ग) के अधीन गठित चिकित्सा बोर्ड अभिप्रेत है।'।

3. उक्त नियमों के नियम 3 के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

"3क. चिकित्सा बोर्ड की शक्तियां और कृत्य – धारा 3 के प्रयोजनों के लिए, -

(क) चिकित्सा बोर्ड की शक्तियां निम्नलिखित होंगी, अर्थात् :-

(i) उक्त धारा की उपधारा (2ख) के अधीन, केवल सम्यक् विचार करने के पश्चात् और यह सुनिश्चित करने के पश्चात् कि गर्भ की उस अवस्था में स्त्री के लिए प्रक्रिया सुरक्षित होगी तथा क्या भ्रूणीय विकृति का इसके जीवन के साथ असंगत होने का सारवान् जोखिम है या यदि शिशु उत्पन्न होता है तो वह ऐसी शारीरिक या मानसिक असामान्यताओं से पीड़ित हो सकता है जिससे वह गंभीर रूप से अक्षम हो, चौबीस सप्ताह की गर्भावधि के आगे गर्भ का समापन अनुज्ञात करना या अस्वीकार करना;

(ii) बोर्ड में अन्य विशेषज्ञों से सहयोग लेना तथा गर्भ के समापन का विनिश्चय करने के लिए, यदि अपेक्षित हो, अतिरिक्त अन्वेषणों के लिए कहना;

(ख) चिकित्सा बोर्ड के कृत्य निम्नलिखित होंगे, अर्थात् :-

(i) स्त्री और उसकी रिपोर्टों का परीक्षण करना, जो धारा 3 की उपधारा (2ख) के अधीन गर्भ के चिकित्सीय समापन के लिए पहुंचे;

(ii) धारा 3 की उपधारा (2ख) के अधीन गर्भ के चिकित्सीय समापन के लिए आवेदन प्राप्ति के तीन दिनों के भीतर गर्भ के समापन या समापन के आवेदन को अस्वीकृत करने के संबंध में प्ररुप घ में चिकित्सा बोर्ड की राय प्रदान करना;

(iii) यह सुनिश्चित करना कि समापन प्रक्रिया की जब चिकित्सा बोर्ड द्वारा सलाह दी जाए, तो वह धारा 3 की उपधारा (2ख) के अधीन गर्भ के चिकित्सीय समापन के लिए आवेदन की तारीख से पांच दिनों के भीतर समुचित परामर्श के साथ सभी सुरक्षा पूर्वावधानियों के साथ की जाए ।

3ख. चौबीस सप्ताह तक की गर्भावस्था के समापन के लिए पात्र स्त्रियां –

अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (ख) के अधीन, चौबीस सप्ताह की अवधि हेतु गर्भावस्था के समापन के लिए निम्नलिखित प्रवर्गों की स्त्रियों को पात्र समझा जाएगा, अर्थात् :-

(क) यौन हमले या बलात्संग या कौटुम्बिक व्यभिचार के उत्तरजीवी;

(ख) अल्पवय;

(ग) गर्भावस्था के दौरान वैवाहिक प्रास्थिति में परिवर्तन (वैधव्य या विवाह-विच्छेद);

(घ) शारीरिक अक्षमताओं वाली स्त्रियां (दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) के अधीन अभिकथित मानदंडों के अनुसार प्रमुख निःशक्तता);

(ङ) मानसिक रूप से रुग्ण स्त्री जिसके अन्तर्गत मानसिक मन्दता भी है;

(च) भ्रूणीय विकृति का इसके जीवन के साथ असंगत होने का सारवान् जोखिम है या यदि शिशु उत्पन्न होता है तो वह ऐसी शारीरिक या मानसिक असामान्यताओं से पीड़ित हो सकता है जिससे वह गंभीर रूप से अक्षम हो; और

(छ) मानवीय स्थितियों या आपदा या आकस्मिकता की परिस्थितियों में गर्भावस्था वाली स्त्री, जैसा कि सरकार द्वारा घोषित किया जाए ।"।

4. उक्त नियमों के नियम 4 में, -

(क) खंड (ग) के उपखंड (ii) में, "बीस सप्ताह", शब्दों के स्थान पर, "चौबीस सप्ताह", शब्द रखे जाएंगे;

(ख) खंड (ग) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(गक) रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी के पास गर्भ समापन की चिकित्सा पद्धतियों द्वारा नौ सप्ताह तक की गर्भावधि के गर्भ समापन को करने के लिए निम्नलिखित अनुभव और प्रशिक्षण होगा, अर्थात् :-

(i) प्रसूति विज्ञान और स्त्री रोग विज्ञान व्यवसाय का तीन मास से अन्यून अवधि का किसी चिकित्सालय का अनुभव; या

(ii) उसने सरकार द्वारा स्थापित या अनुरक्षित अस्पताल में अथवा इसी प्रयोजन के लिए अनुमोदित प्रशिक्षण संस्थान में गर्भ के चिकित्सीय समापन के दस मामलों को गर्भ समापन की चिकित्सा पद्धतियों द्वारा किसी रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी के पर्यवेक्षण के अधीन स्वतंत्र रूप से किया हो ।"।

5. उक्त नियमों के नियम 4 के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"4क. (1) अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2क) के प्रयोजनों के लिए, रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी की राय, जो गर्भावस्था की विभिन्न अवधियों के लिए अपेक्षित है, निम्नलिखित होगी, अर्थात् :-

(क) नौ सप्ताह तक की गर्भावस्था अवधि, गर्भ समापन की चिकित्सा पद्धतियों द्वारा : नियम 4 के खंड (क), (ख), (ग), (गक) और (घ) के अधीन पात्र रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी;

(ख) बारह सप्ताह तक की गर्भावस्था अवधि, गर्भ समापन की शल्य चिकित्सा पद्धति द्वारा : नियम 4 के खंड (क), (ख), (ग) और (घ) के अधीन पात्र रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी;

(ग) बारह सप्ताह से अधिक बीस सप्ताह तक की गर्भावस्था अवधि : नियम 4 के खंड (क), (ख) और (घ) के अधीन पात्र रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी;

(2) अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2क) के प्रयोजनों के लिए, नियम 4 के खंड (क), (ख) और (घ) के अधीन पात्र दो रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायियों की राय, जो बीस सप्ताह से अधिक चौबीस सप्ताह तक की गर्भावस्था अवधि के गर्भ के समापन हेतु अपेक्षित है, प्ररुप ङ में होगी ।

(3) धारा 3 की उपधारा (2ख) के प्रयोजनों के लिए, चौबीस सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था अवधि के गर्भ समापन हेतु राय : संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा अनुमोदित प्रसुविधाओं पर सम्यक् रूप से गठित चिकित्सा बोर्ड द्वारा दी जाएगी तथा नियम 4 के खंड (क), (ख) और (घ) के अधीन पात्र दो रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी ऐसे चिकित्सा बोर्ड के विनिश्चय के आधार पर गर्भ का समापन करेंगे ।"।

6. उक्त नियमों के नियम 5 के उपनियम (1) के खंड (ii) में, -

(अ) "20 सप्ताह", अंकों और शब्द के स्थान पर, "चौबीस सप्ताह", शब्द रखे जाएंगे;

(आ) "परिवहन की सुविधाएं; तथा", शब्दों के स्थान पर, "परिवहन की सुविधाएं", शब्द रखे जाएंगे;

(इ) "भारत सरकार द्वारा समय-समय पर", शब्दों के स्थान पर, "केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर; तथा", शब्द रखे जाएंगे;

(ई) उपखंड (ग) के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"चौबीस सप्ताह से आगे की गर्भावस्था के समापन की दशा में :-

(क) आपरेशन टेबल और उदर संबंधी या स्त्री रोग संबंधी शल्य चिकित्सा करने के लिए उपस्कर;

(ख) निश्चेतना उपस्कर, पुनरुज्जीवन उपस्कर और विसंक्रमण उपस्कर;

(ग) औषधियों, आकस्मिक उपयोग के लिए जनकीय तरलों और रक्त की उपलब्धता, जैसा केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाए;

(घ) अल्ट्रासाउंड मार्गदर्शन के अधीन प्रक्रिया के लिए सुविधाएं ।"।

(उ) स्पष्टीकरण में, "सात सप्ताह", शब्दों के स्थान पर, "नौ सप्ताह", शब्द रखे जाएंगे ।

7. उक्त नियमों के प्ररुप क के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररुप रखा जाएगा, अर्थात् :-

"प्ररुप क

[नियम 5 का उपनियम (2) देखिए]

अधिनियम की धारा 4 के खंड (ख) के अधीन स्थान के अनुमोदन के लिए आवेदन का प्ररुप :

अनुमोदित स्थान का प्रवर्ग :

(अ) बारह सप्ताह तक के गर्भ का समापन किया जा सकता है

(आ) चौबीस सप्ताह तक के गर्भ का समापन किया जा सकता है

(i) स्थान का नाम (स्पष्ट अक्षरों में) :

(ii) पूर्ण पता :

(iii) गैर-सरकारी या प्राइवेट या नर्सिंग होम या अन्य संस्थाएं :

(iv) कृपया बताइए कि क्या इस स्थान पर निम्नलिखित सुविधाएं उपलब्ध हैं :

प्रवर्ग अ

(i) स्त्री रोग विषयक परीक्षण या प्रसव टेबल ।

(ii) पुनरुज्जीवन उपस्कर ।

(iii) विसंक्रमण उपस्कर ।

(iv) प्रघात के उपचार के लिए सुविधाएं ,जिसके अंतर्गत आपातकालीन औषधियां भी है ।

(v) परिवहन के लिए सुविधाएं यदि ,अपेक्षित हों ।

प्रवर्ग आ

(i) आपरेशन टेबल और उदर संबंधी या स्त्री रोग संबंधी शल्य चिकित्सा करने के लिए उपस्कर

(ii) आपातकालीन दशाओं के लिए पर्याप्त मात्रा में औषधियां और जनकीय तरल ।

(iii) निश्चेतना उपस्कर, पुनरुज्जीवन उपस्कर और विसंक्रमण उपस्कर ।

स्थान :

तारीख : स्थान के स्वामी के हस्ताक्षर"

8. उक्त नियम में **प्ररुप ग** के पश्चात्, निम्नलिखित प्ररुपों को रखा जाएगा, अर्थात् :-

"प्ररुप घ

(नियम 3क के खंड (ख) के उपखंड (ii) देखें)

24 सप्ताह से परे गर्भ के चिकित्सीय समापन के लिए चिकित्सा बोर्ड की रिपोर्ट

गर्भ के समापन की मांग करने वाली महिला का विवरण :

1. महिला का नाम :
2. आयु:
3. रजिस्ट्रीकरण /मामले की सं.
4. उपलब्ध रिपोर्ट और अन्वेषण:

क्रम सं.	रिपोर्ट	निष्कर्षों पर राय

5. अतिरिक्त अन्वेषण (यदि किया गया हो) :

क्रम सं.	किए गए अन्वेषण	मुख्य निष्कर्ष

6. गर्भ के समापन के लिए चिकित्सा बोर्ड की राय:

क. अनुमति दी

ख. अस्वीकार किया

निर्णय के लिए औचित्य:

7.गर्भ के समापन के लिए महिला की शारीरिक स्वस्थता:

क. हां

ख. नहीं

चिकित्सा बोर्ड के सदस्य जिन्होंने मामले का पुनरीक्षण किया हो :

क्रम सं.	नाम	हस्ताक्षर

तारीख और समय.....

प्ररुप ड.

रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी के राय का प्ररुप

(बीस सप्ताह से अधिक चौबीस सप्ताह तक गर्भावस्था की अवधि के लिए)

[नियम 4क के उपनियम (2) को देखे]

मैं.....

(रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी का नाम और अर्हताऐं बड़े अक्षरों में)

.....

(रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी का पूरा पता)

मैं.....

(रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी का नाम और अर्हताऐं बड़े अक्षरों में)

.....

(रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी का पूरा पता)

प्रमाणित करते हैं, कि हमारी सद्भावनापूर्वक बनाई गई राय के अनुसार

.....

(गर्भवती स्त्री का नाम बड़े अक्षरों में)

निवासी

.....

(गर्भवती स्त्री का पूरा पता, बड़े अक्षरों में)

के बीस सप्ताह से अधिक लेकिन चौबीस सप्ताह तक के गर्भ का समापन करना निम्नलिखित विशेष परिस्थितियों* के अंतर्गत आवश्यक है ।

*बीस सप्ताह से अधिक, चौबीस सप्ताह तक गर्भ के समापन के लिए प्ररुप में दी गयी परिस्थितियों को विनिर्दिष्ट (छ) से (क) करें:

(क) यौन हमले या बलात्संग या कौटुम्बिक व्यभिचार के उत्तरजीवी ।

(ख) अल्पवय ।

(ग) गर्भावस्था के दौरान वैवाहिक प्रास्थिति में परिवर्तन (वैधव्य या विवाह-विच्छेद) ।

(घ) शारीरिक अक्षमताओं वाली स्त्रियां (दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) के अधीन अभिकथित मानदंडों के अनुसार प्रमुख निःशक्तता) ।

(ङ) मानसिक रूप से रुग्ण स्त्री जिसके अन्तर्गत मानसिक मन्दता भी है ।

(च) भ्रूणीय विकृति का इसके जीवन के साथ असंगत होने का सारवान् जोखिम है या यदि शिशु उत्पन्न होता है तो वह ऐसी शारीरिक या मानसिक असामान्यताओं से पीड़ित हो सकता है जिससे वह गंभीर रूप से अक्षम हो ।

(छ) मानवीय स्थितियों या आपदा या आकस्मिकता की परिस्थितियों में गर्भावस्था वाली स्त्री, जैसा कि सरकार द्वारा घोषित किया जाए ।

हम यह सूचना देतें हैं कि हमने निर्दिष्ट स्त्री, जिनका अस्पताल/ अनुमोदित स्थान के दाखिला रजिस्टर में क्रम संख्यांक ..... है, के गर्भ का समापन किया है ।

रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी के हस्ताक्षर

रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी के हस्ताक्षर

स्थान
तारीख

टिप्पण: यह अवधारण करने के लिए कि क्या उसके गर्भ के बने रहने से गर्भवती स्त्री के शारीरिक अथवा मानसिक स्वास्थ्य को गंभीर क्षति पहुंचेगी, उस स्त्री की वास्तविक या युक्तियुक्त पूर्व परिस्थितियों को ध्यान में रखा जाए ।

[फा. सं एम-12015/16/2021-एमसीएच]
डॉ पाटिबंडला अशोक बाबू, संयुक्त सचिव

टिप्पण: गर्भ का चिकित्सीय समापन नियम 2003, भारत के राजपत्र असाधारण भाग II, खंड 3, उपखंड (i) के अधिसूचना संख्यांक सा .नि.का.485 (अ) में तारीख 13 जून, 2003 को प्रकाशित किया गया था।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th October, 2021

G.S.R 730(E). — In exercise of the powers conferred by section 6 of the Medical Termination of Pregnancy Act, 1971 (34 of 1971), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Medical Termination of Pregnancy Rules, 2003, namely:-

1. (1) These rules may be called the Medical Termination of Pregnancy (Amendment) Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Medical Termination of Pregnancy Rules, 2003 (herein after referred to as the said rules), in rule 2, after sub-rule (e), the following sub-rule shall be inserted, namely:-

‘(f) “Medical Board” means the Medical Board constituted under sub-section (2C) of section 3 of the Act.’.

3. After rule 3 of the said rules, the following rules shall be inserted, namely:-

“ 3A. Powers and functions of Medical Board.—For the purposes of section 3,—

(a) the powers of the Medical Board shall be the following, namely:-

(i) to allow or deny termination of pregnancy beyond twenty-four weeks of gestation period under sub-section (2B) of the said section only after due consideration and ensuring that the procedure would be safe for the woman at that gestation age and whether the foetal malformation has substantial risk of it being incompatible with life or if the child is born it may suffer from such physical or mental abnormalities to be seriously handicapped;

(ii) co-opt other specialists in the Board and ask for any additional investigations if required, for deciding on the termination of pregnancy;

(b) the functions of the Medical Board shall be the following, namely :-

(i) to examine the woman and her reports, who may approach for medical termination of pregnancy under sub-section (2B) of section 3;

(ii) provide the opinion of Medical Board in Form D with regard to the termination of pregnancy or rejection of request for termination within three days of receiving the request for medical termination of pregnancy under sub-section (2B) of section 3;

(iii) to ensure that the termination procedure, when advised by the Medical Board, is carried out with all safety precautions along with appropriate counselling within five days of the receipt of the request for medical termination of pregnancy under sub-section (2B) of section 3.

3B. Women eligible for termination of pregnancy up to twenty-four weeks.—
The following categories of women shall be considered eligible for termination of pregnancy under clause (b) of sub-section (2) Section 3 of the Act, for a period of up to twenty-four weeks, namely:-

(a) survivors of sexual assault or rape or incest;

(b) minors;

(c) change of marital status during the ongoing pregnancy (widowhood and divorce);

(d) women with physical disabilities [major disability as per criteria laid down under the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (49 of 2016)];

(e) mentally ill women including mental retardation;

(f) the foetal malformation that has substantial risk of being incompatible with life or if the child is born it may suffer from such physical or mental abnormalities to be seriously handicapped; and

(g) women with pregnancy in humanitarian settings or disaster or emergency situations as may be declared by the Government." .

4. In rule 4 of the said rules,—

(a) in clause (c), in sub-clause (ii), for the words "twenty- weeks", the words "twenty – four weeks" shall be substituted;

(b) after clause (c), the following clause shall be inserted, namely:-

"(ca) A Registered Medical Practitioner shall have the following experience and training for conducting termination of pregnancy upto nine weeks of gestation period by medical methods of abortion, namely:-

(i) experience at any hospital for a period of not less than three months in the practice of obstetrics and gynaecology; or

(ii) has independently performed ten cases of pregnancy termination by medical methods of abortion under the supervision of a Registered Medical Practitioner in a hospital established or maintained, or a training institute approved for this purpose, by the Government.".

5. After rule 4 of the said rules, the following rule shall be inserted, namely:-

"4A. (1) For the purposes of sub-section (2A) of section 3 of the Act, the opinion of Registered Medical Practitioner which is required for termination of pregnancy at different gestation ages shall be the following, namely:-

(a) till nine weeks of gestation period, by Medical Methods of Abortion: Registered Medical Practitioner eligible under clauses (a), (b), (c), (ca) and (d) of rule 4;

(b) till twelve weeks of gestation period, by surgical method: Registered Medical Practitioner

eligible under clauses (a), (b), (c) and (d) of rule 4;

(c) beyond twelve weeks till twenty weeks of gestation period: Registered Medical Practitioner

eligible under clauses (a), (b) and (d) of rule 4;

(2) For the purposes of sub-section (2A) of section 3 of the Act, the opinion of two Registered Medical Practitioners eligible under clauses (a), (b) and (d) of rule 4, which is required for termination of pregnancy beyond twenty weeks till twenty-four weeks of gestation period, shall be in Form E.

(3) For the purposes of sub-secion (2B) of section 3, the opinion for medical termination of pregnancy beyond twenty-four weeks gestation period: Shall be given by a Medical Board duly constituted by the respective State Government or Union territory Administration at approved facilities and two Registered Medical Practitioners eligible under clauses (a), (b) and (d) of rule 4, shall perform the termination of pregnancy based on the decision of such Medical Board.".

6. In rule 5 of the said rules, in sub-rule (1), in clause (ii),—

(A) for the figures and word "20 weeks", the words "twenty-four weeks" shall be substituted;

(B) for the words "for transportation; and", the words "for transportation;" shall be substituted;

(C) for the words "Government for India from time to time.", the words "the Central Government from time to time; and" shall be substituted;

(D) after sub-clause (c), the following shall be inserted, namely:-

"in case of termination beyond twenty-four weeks of pregnancy:-

(a) an operation table and instruments for performing abdominal or gynaecological surgery;

(b) anaesthetic equipment, resuscitation equipment and sterilisation equipment;

(c) availability of drugs, parental fluids and blood for emergency use, as may be notified by the Central Government from time to time; and

(d) facilities for procedure under ultrasound guidance.".

(E) in the *Explanation*, for the words "seven weeks", the words "nine weeks" shall be substituted.

7. For Form A of the said rules, the following Form shall be substituted, namely:-

"**FORM A**

(See sub-rule (2) of rule 5)

FORM OF APPLICATION FOR THE APPROVAL OF A PLACE UNDER CLAUSE (b) OF SECTION 4 OF THE ACT

Category of approved place:

(A) Pregnancy can be terminated upto twelve weeks

(B) Pregnancy can be terminated upto twenty-four weeks

(i) Name of the place (in capital letters):

(ii) Address in full:

(iii) Non-Government or Private or Nursing Home or Other Institutions:

(iv) State, if the following facilities are available at the place:

CATEGORY A

(i) Gynaecological examination or labour table.

(ii) Resuscitation equipment.

(iii) Sterilisation equipment.

(iv) Facilities for treatment of shock, including emergency drugs.

(v) Facilities for transportations, if required.

CATEGORY B

(i) An operation table and instruments for performing abdominal or gynaecological surgery.

(ii) Drugs and parental fluids in sufficient supply for emergency cases.

(iii) Anaesthetic equipment, resuscitation equipment and sterilization equipment.

Place:

Date: Signature of the owner for the place.".

8. After Form C of the said rule, the following Forms shall be inserted, namely:-

"**Form D**

(See sub-clause (ii) of clause (b) of rule 3A)

Report of the Medical Board for Pregnancy Termination Beyond 24 weeks

Details of the woman seeking termination of pregnancy:

1. Name of the woman
2. Age:
3. Registration/Case Number:
4. Available reports and investigations:

S.No	Report	Opinion on the findings

5. Additional Investigations (if done):

S.No	Investigations done	Key findings

6. Opinion by Medical Board for termination of pregnancy:
   a) Allowed
   b) Denied

Justification for the decision:

7. Physical fitness of the woman for the termination of pregnancy:
   a. Yes
   b. No

Members of the Medical Board who reviewed the case:

S.No	Name	Signature

Date and Time:…….

FORM E

Opinion Form of Registered Medical Practitioners

(For gestation age beyond twenty weeks till twenty-four weeks)

[See sub-rule (2) of rule 4A]

I_____

(Name and qualifications of the Registered Medical Practitioner in block letters)

_____

(Full address of the Registered Medical Practitioner)

I_____

(Name and qualifications of the Registered Medical Practitioner in block letters)

_____

(Full address of the Registered Medical Practitioner)

hereby certify that we are of opinion, formed in good faith, that it is necessary to terminate the pregnancy of _____

(Full name of pregnant woman in block letters)

resident of_____

(Full address of pregnant woman in block letters)

which is beyond twenty weeks but till twenty-four weeks under special circumstances as given below*.

*Specify the circumstance(s) from (a) to (g) appropriate for termination of pregnancy beyond twenty weeks till twenty-four weeks:

(a) Survivors of sexual assault or rape or incest

(b) Minors

(c) Change of marital status during the ongoing pregnancy (widowhood and divorce)

(d) Women with physical disabilities [major disability as per criteria laid down under the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (49 of 2016)]

(e) Mentally ill women including mental retardation

(f) The foetal malformation that has substantial risk of being incompatible with life or if the child is born it may suffer from such physical or mental abnormalities to be seriously handicapped

(g) Women with pregnancy in humanitarian settings or disaster or emergency situations as declared by Government

We hear by give intimation that we terminated the pregnancy of the woman referred to above who bears the Serial No. _____ in the Admission Register of the hospital / approved place.

Signature of the Registered Medical Practitioner

Signature of the Registered Medical Practitioner

Place:
Date:

Note: Account may be taken of the pregnant woman's actual or reasonably foreseeable environment in determining whether the continuance of her pregnancy would involve a grave injury to her physical or mental health. ".

[F. No. M-12015/16/2021-MCH]

Dr. PATIBANDLA ASHOK BABU, Jt. Secy.

Note:- The Medical Termination of Pregnancy Rules, 2003 were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i) *vide* notification number G.S.R. 485(E), dated the 13th June, 2003.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2021.10.12 21:04:14 +05'30'